उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन

राजकीय आई0टी0आई0 परिसर अलीगंज, लखनऊ
फोन/फैक्स न0: 0522–24066115

संख्याः /उ0प्र0कौ0वि0मि0/2022–23/से.एजू./2223
दिनांक : 22 सितम्बर, 2022

कार्यालय–ज्ञाप

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावासों में नियमित कक्षाओं के साथ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु दिशा–निर्देश।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना के अनुक्रम में समावेशी शिक्षा की अवधारणा (Concept of inclusive and holistic education) के अनन्तर माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9–12 में अध्ययनरत छात्रों को नियमित शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सम्बन्धित विद्यालयों में ही व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण की कक्षायें संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सम्बन्धित विद्यालय के परिसर में निजी/राजकीय/फ्लैक्सी प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा (यथा स्थिति आवंटन के अनुसार) निर्धारित पाठ्यक्रमों (Job roles) में कक्षा 9–12 में अध्ययनरत छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

उक्त प्रशिक्षण छात्रों के लिए एच्छिक होगा। प्रशिक्षण लागत का भुगतान प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा किया जायेगा।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे हैः–

1. <u>प्रशिक्षण स्थलः</u>– चयनित प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा चिह्नित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के परिसर में प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। प्रशिक्षण लागत की 20% धनराशि राज्य संचालन समिति की बैठक दिनांक 30.03.2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण प्रदाता को अवमुक्त नहीं की जाएगी।

   प्रयोगशाला में चिह्नित पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरणों व आवश्यकतानुसार कच्चे माल की व्यवस्था प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2. <u>प्रशिक्षण अवधिः</u>– प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रत्येक विद्यालय दिवस (जिसमें शैक्षणिक कक्षायें संचालित हो रही है) में दो टीचिंग पीरियड्स (Teaching Periods) में छात्रों को सैद्धान्तिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। पीरियड्स का निर्धारण विद्यालय प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जायेगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सम्बन्धित जॉबरोल के लिए सेक्टर

स्किल काउंसिल द्वारा प्रस्तावित तथा एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण अवधि ही अनुमन्य होगी तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

3. **पाठ्यक्रम निर्धारणः—** प्रशिक्षण हेतु जॉबरोल का चयन छात्रों की रूचि के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग/विद्यालय द्वारा किया जायेगा परन्तु इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा कि चयनित पाठ्यक्रम NSQF संरेखीय व अनुमन्य हो।

4. **बैच का आकारः—** एक प्रशिक्षण सत्र में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या अधिकतम 35 तक सीमित रहेगी। छात्रों की सूची सम्बन्धित विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

5. **प्रशिक्षण केन्द्र के सम्बन्ध में मानकः—** कार्यालय ज्ञाप संख्याः 228/एसएमसी/कौ0वि0मि0/2014 दिनांक 04.06.2014 द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों के सम्बन्ध में विशिष्टियां निर्धारित की गयी थी तथा प्रशिक्षण केन्द्र हेतु अनिवार्य संसाधन/अवस्थापना सुविधायें इत्यादि निर्धारित की गयी थी, जिसमें प्रश्नगत परिस्थितियों के क्रम में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैः—

   i. चूंकि प्रशिक्षण विद्यालय परिसर में ही दिया जायेगा, अतः प्रशिक्षण स्थल पर सूचना बोर्ड स्थापित किया जाना वांछनीय नहीं होगा।

   ii. विद्यालय परिसर में प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा पृथक् से शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था करायी जानी अपेक्षित नहीं होगी।

   iii. प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा पॉवर बैकअप हेतु जेनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

   iv. प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा छात्रों की आधार इनेबुल्ड बायोमैट्रिक उपस्थिति का अंकन सुनिश्चित किया जायेगा।

   v. प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा सम्बन्धित जॉबरोल के प्रशिक्षण का ToT प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य है, जिसकी वैद्यता सम्पूर्ण प्रशिक्षण सत्र तक होनी आवश्यक है।

   vi. प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रशिक्षक की योग्यता/अर्हता उसका मोबाइल नम्बर तथा छात्रों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य अथवा उसके द्वारा नामित कर्मी को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

   vii. नियमित अध्ययनरत छात्रों को ही प्रशिक्षित किये जाने के कारण प्रशिक्षणोपरांत छात्रों का सेवायोजन अपेक्षित नहीं होगा।

   viii. प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना के सम्बन्ध में पूर्व से निर्धारित अन्य मानक तथा प्रशिक्षण केन्द्र व बैच अनुमोदन आदि की वर्तमान व्यवस्था यथावत् प्रभावी रहेगी।

(आन्द्रा वामसी)
आई.ए.एस.
मिशन निदेशक

संख्याः 2322/उ0प्र0कौ0वि0मि0/2022—23/से.एजू./2223 **तद्दिनांकित।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

2. प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रदाता, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन।
9. गार्ड फाइल।

(आन्द्रा वामसी)
आई.ए.एस.
मिशन निदेशक